न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 103/20

शिवप्रकाश पुत्र किशनलाल जाति माली निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल

......वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

......प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील वादी : श्री मनोज कुमार गालव

दायरा दिनांकः 20.10.2020 निर्णय दिनांक : 16.08.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के आराजी खाता संख्या 513 खसरा नं0 1204 रकबा 0.99 है0, खसरा नं0 1205 रकबा 0.49 है0, खसरा नं0 1223/1451 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 998 रकबा 0.17 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.05 है0 वाके ग्राम मउ तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम शिवप्रकाश पुत्र किशना के स्थान पर श्योजी पुत्र किशना दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम शिवप्रकाश पुत्र किशना है। जिसको वादी श्योजी पुत्र किशना के स्थान पर शिवप्रकाश पुत्र किशना दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि में शिवप्रकाश पुत्र किशना दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में श्योजी पुत्र किशना के स्थान पर शिवप्रकाश पुत्र किशना दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम श्योजी पुत्र किशना के स्थान शिवप्रकाश पुत्र किशना दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 20.10.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2022/693 दिनांक 21.12.2020 के अनुसार वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में श्योजी पुत्र किशना के स्थान शिवप्रकाश पुत्र किशनलाल सा0 देह दर्ज किये जाने की अनुशषां की गयी।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाह वादी स्वयं एवं रामप्यारी पुत्री किशनलाल जाति माली निवासी बमोरी कलां के आधार पर आराजी खाता संख्या 513 खसरा नं0 1204 रकबा 0.99 है0, खसरा नं0 1205 रकबा 0.49 है0, खसरा नं0 1223/1451 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 998 रकबा 0.17 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.05 है0 वाके ग्राम मउ तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम श्योजी पुत्र किशना के स्थान पर शिवप्रकाश उर्फ श्योजी पुत्र किशना दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय में जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को खुले न्यायालय में मजमेआम सुनाया गया।

Scanned by CamScanner